"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2018 —— पौष 20, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7(पार्ट-2). — छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 17 सहपठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

सरल क्रमांक 13 में, कॉलम (7) में, अंक एवं शब्द "21 वर्ष" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "18 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7(पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th January 2018

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7.— In exercise of the powers conferred by Section 17 read with sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lok Aayog Karyalaya Service (Recruitment and Service conditions) Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Serial No. 13, in Column (7) for the figure and word "21 year", the figure and word "18 years", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.